जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 01-10-2021**

आज दिनांक 01.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ0 कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 407/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता धर्मवीर निषाद पुत्र रामलखन निषाद निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2021 को वादी की भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता के तहत आज दिनांक 01.10.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा अपहृता युवती को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 सर्वदानन्द सिंह, म0आ0 नाजबीन।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता जिलाजीत बंजारा पुत्र दीदारा बंजारा निवासी बंजरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 312/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री हरेन्द्र पाठक मय हमराह।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 3304 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 3304 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 06905 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट मे होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना को0 खलीलाबाद के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।
पीआरवी स्टाफ –आरक्षी जितेन्द्र शाह, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 67500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.10.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनो से 67500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।